जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः जीविवि/परीक्षा-2/गोप0/2017/346 दिनांक : 06.04.2017

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष
समस्त सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय महविद्यालय/अध्ययनशाला,
जीवाजी विश्वविद्यालय, परिक्षेत्र
ग्वालियर (म0प्र0)

विषय :- विश्वविद्यालयीन परीक्षा कार्य जैसे प्रश्न-पत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं अन्य परीक्षा कार्य में सहयोग प्रदान करने हेतु प्राध्यापकों एवं सहायक-प्राध्यापकों को निर्देशित करने बावत्।
संदर्भः- मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 696/717/17/38-2 भोपाल दिनांक 28.03.2017

महोदय,

संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि विश्वविद्यालयीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर द्वितीय चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर परीक्षायें जून 2017 शीघ्र प्रारंभ होने जा रही है। वर्तमान में प्रायोगिक परीक्षायें एवं प्रोजेक्ट मूल्यांकन कार्य शीघ्र संपादित कर परीक्षाओं के अंक शीघ्रताशीघ्र ऑनलाईन अपडेट करायें।

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आप अपने अधीनस्थ प्राध्यापकों एवं सहायक-प्राध्यापको को विश्वविद्यालयीन परीक्षा कार्य जैसे प्रश्न-पत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं अन्य परीक्षा कार्य में निर्धारित समय-सीमा में सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

परीक्षा अत्यावश्यक कार्य में सहयोग की अपेक्षा के साथ

भ व दी य

परीक्षा नियंत्रक

संलग्न : मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 696/717/17/38-2 भोपाल दिनांक 28.03.2017

प्रतिलिपिः-

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर
2. कुलसचिव के निज सहायक- जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।

उप/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा)

आदि. वी.मैन
अ.सह.प्रो

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल– 462004

क्रमांक 696 /717 /17/38–2 भोपाल, दिनांक 28 /3/2017

प्रति,

अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र.

विषय:–प्रश्न पत्रों के निर्माण की अनिवार्यता के संबंध में।

–0–

उपरोक्त विषय के संबंध में लेख है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदेश के महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को प्रश्न–पत्रों के निर्माण एवं उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन संबंधी कार्य सौपे जाने पर उनके द्वारा उक्त कार्य हेतु कतिपय प्रकरणों में मना किया जाता हैं। एवं उन्हें भेजी गई सामग्री वापस नही की जाती हैं एवं न ही अस्वीकृति की सूचना विश्वविद्यालयों को दी जाती हैं। जिसके कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं।

अतः विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि आप अपने क्षेत्रान्तर्गत महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राध्यापकों को स्पष्ट निर्देश दे कि उनके द्वारा परीक्षा संबंधी कार्यों को सामान्य परिस्थिति में अस्वीकार न करें। विशेष परिस्थिति में परीक्षा संबंधी कार्य न किये जाने की सूचना प्राचार्य के माध्यम से कारण सहित संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव को अवगत करायें। ऐसा न करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

27.3.2017
(आशीष उपाध्याय)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक /697/717/17/38–2, भोपाल, दिनांक 28 /3/2017

प्रतिलिपि:–

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. कुलसचिव समस्त विश्वविद्यालय म.प्र.।
3. प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय म.प्र.।

27.3.2017
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग